भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4016
बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिजली गिरने के कारण मौत

4016 श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि :

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पाँच वर्षों में बिजली गिरने के कारण हुई मौतों का राज्य-वार विशेषकर तमिलनाडु के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;
(ख) बिजली गिरने के कारण मौतों तथा क्षति में हुई वृद्धि के बावजूद इस प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित नहीं किए जाने के क्या कारण है;
(ग) वर्तमान में तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित तड़ित रोधी/संकेतकों का ब्यौरा क्या है;
(घ) डाउनलोड किए गए दामिनी-ऐप की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा क्या मौसम संबंधी चेतावनी इस ऐप पर क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाती है;
(ङ) क्या सरकार ने बिजली गिरने से जुड़ी चेतावनी और सूचनाओं को अंतिम स्थान तक पहुंचाना सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाए हैं ताकि क्षति को कम किया जा सके; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) पिछले पांच वर्षों में बिजली गिरने से तमिलनाडु समेत देश के अन्य हिस्सों में होने वाली मौतों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

(ख) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) / राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) के गठन एवं प्रशासन हेतु 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, बिजली गिरना एसडीआरएफ / एनडीआरएफ के अन्तर्गत राहत हेतु पात्र प्राकृतिक आपदाओं की केन्द्रीय अधिसूचित सूची में शामिल नहीं है। तथापि, राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं की केन्द्रीय अधिसूचित सूची में शामिल न होने वाली घटनाओं, जो उनके विचार में राज्य के स्थानीय संदर्भ के अन्तर्गत 'आपदा' हों, के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हुए एसडीआरएफ के वार्षिक निधि आवंटन की 10 प्रतिशत तक की राशि प्रयोग कर सकती है। एसडीआरएफ / एनडीआरएफ से सहायता सम्बन्धी नियम एवं विषयवस्तुएं गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://www.ndmindia.nic.in/images /SDRF2105to2020_310516.pdf पर उपलब्ध हैं।

(ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी अनुसंधान संस्थान, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) ने तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में पांच लाइटनिंग डिटेक्टर्स संस्थापित किए हैं।

1. थिरुवरूर 2. वेल्लूर 3. कोयम्बटूर 4. मदुरई 5. पुडुचेरी

(घ) पूरे भारत में 5 लाख से अधिक लोगों ने दामिनी ऐप डाउनलोड किया है। चेतावनी अंग्रेजी और हिन्दी में दी जाती है। स्थानीय भाषा में चेतावनी संदेश पहुंचाने जाने की दिशा में कार्य चल रहा है।

(ङ)-(च) सम्बन्धित मुद्दों की शमन कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने प्रभावी कदम उठाए हैं। एनडीएमए ने 2018-19 में गरज के साथ तूफान एवं बिजली गिरने / चंडवात तथा तेज हवाओं के लिए कार्रवाई योजना हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं, तथा सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे हैं एवं एनडीएमए की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, एनडीएमए ने निम्न पहल की हैं:

- एनडीएमए ने गरज के साथ तूफान एवं बिजली गिरने की घटनाओं के संबंध में राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट परामर्शिकाएं – क्या करें और क्या न करें जारी की हैं।

- एनडीएमए ने सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, गरज के साथ तूफान एवं बिजली गिरने सम्बन्धी तैयारी एवं शमन उपायों की समीक्षा की है।

- गरज के साथ तूफान एवं बिजली गिरने संबंधी पूर्व चेतावनी प्रसार के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित किया गया।

- एनडीएम ने गरज के साथ तूफान एवं बिजली गिरने संबंधी आईईसी सामग्रियां तैयार की, जैसे टीवी कैम्पेन, क्या करें और क्या न करें, विवरण युक्त पॉकेट बुक्स, ऑडियो-विजुअल।

- दूरदर्शन पर आपदा का सामना नामक एक शो में विशेष पैनल चर्चा (टीवी परिचर्चा)

- दूरदर्शन और आकाशवाणी - एनडीएमए ने गरज के साथ तूफान एवं बिजली गिरने की घटनाओं के बारे में आम लोगों में जागरुकता लाने के लिए अप्रैल 2021 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों एवं पश्चिम बंगाल समेत आपदा संभावी राज्यों में टीवी (दूरदर्शन) एवं रेडियो (आकाशवाणी) के माध्यम से अभियान चलाया।

- गरज के साथ तूफान एवं बिजली गिरने के बारे में सोशल मीडिया अभियान **फरवरी** से चलाया गया। क्या करें और क्या न करें के बारे में एनडीएमए सोशल मीडिया वेबसाइट पर जानकारी साझा की जा रही हैं तथा ट्विटर एवं फेसबुक पर लगातार वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं।

अनुलग्नक-I

वर्ष 2016-2020 के दौरान बिजली कड़कने के कारण होने वाली दुर्घटनावश मौतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2016	2017	2018	2019	2020
1	आंध्र प्रदेश	53	77	74	109	93
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3	असम	92	30	36	28	14
4	बिहार	282	263	177	400	436
5	छत्तीसगढ़	211	270	213	212	246
6	गोवा	0	0	0	2	0
7	गुजरात	29	54	13	64	78
8	हरियाणा	12	3	6	11	3
9	हिमाचल प्रदेश	2	3	8	1	5
10	झारखंड	542	150	235	334	336
11	कर्नाटक	77	121	126	99	75
12	केरल	17	19	25	15	8
13	मध्य प्रदेश	639	452	381	400	429
14	महाराष्ट्र	230	284	149	189	182
15	मणिपुर	0	0	1	0	0
16	मेघालय	12	15	5	7	8
17	मिजोरम	1	1	1	1	0
18	नगालैंड	0	0	0	0	1
19	ओडिशा	376	446	299	271	275
20	पंजाब	8	1	4	7	8
21	राजस्थान	108	121	43	88	48
22	सिक्किम	1	1	0	0	0
23	तमिलनाडु	38	74	82	57	64
24	तेलंगाना	74	79	68	96	64
25	त्रिपुरा	12	17	10	10	5
26	उत्तर प्रदेश	384	217	220	321	304
27	उत्तराखण्ड	1	7	2	2	10
28	पश्चिम बंगाल	110	176	179	147	170
	कुल राज्य	**3311**	**2881**	**2357**	**2871**	**2862**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	1	0	1	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	2	0
31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव @ +	0	2	0	1	0

32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	2	0	0	0	0
33	जम्मू एवं कश्मीर @ *	2	1	0	1	0
34	लद्दाख @					0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**4**	**4**	**0**	**5**	**0**
	कुल (समस्त भारत)	**3315**	**2885**	**2357**	**2876**	**2862**
राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार						
'+' वर्ष 2016-2019 के दौरान पूर्व दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े						
'*' वर्ष 2016-2019 के दौरान पूर्व जम्मू एवं कश्मीर राज्य समेत लद्दाख का आंकड़ा						
'@' नव सृजित संघ राज्य क्षेत्र का आंकड़ा						

उपर्युक्त आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रदान किए गए थे।

******